मु.नं. 61/2024 जोगाराम बनाम अजय वगैरह

21.10.024

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थी संख्या 1 ता 26 को बार–बार आवाज दिलाई गई सूचना बावजूद अनुपस्थित इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी ने अपने तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा बिजरोल गोलिया पटवार हल्का बिजरोल तहसील सांचौर के खातेदारी कब्जा काश्त खेत खसरा नम्बर 77 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 78 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 79 रकबा 8.67 हैक्टयर, कुल रकबा 8.74 हैक्टयर आये हुए है। जिसमें प्रार्थी का 1/6 हिस्सा आया हुआ है। उक्त आराजी का लगान प्रार्थी माफिक हिस्से अनुसार नियमानुसार अदा करते आ रहा है, तथा गिरदावरी भी प्रार्थी के नाम तजवीज होती आ रही है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य मौके पर भू–विभाजन होना शेष है तथा राजस्व रेकर्ड में भी भूमि संयुक्त रूप से इन्द्राज है इस प्रकार वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की होने से उक्त भूमि का प्रार्थी का प्रत्येक इंच जमीन पर सामलाती कब्जा व हक निहित है। तथा प्रार्थी अप्रार्थी की तरफ से भी उक्त भूमि पर खेती कर भूमि की सार–संभाल, उपयोग–उपभोग करता है। आपसी पारिवारीक अनबन के कारण अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को अवैध व गैर कानूनी तरीके से किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान, रहन, तर्क, व दुव्ययन करने, अवैध निर्माण करने, उसे नुकशान पंहुचाने व अन्य तरीके से संक्रात किया जाकर वादग्रस्त भूमि में बल पूर्वक हिस्से से अधिक प्रवेश कर प्रार्थी को बेदखल करना चाहते है। तथा मौके पर संयुक्त आराजी में अच्छी से अच्छी, उपजाऊ भूमि पर कब्जा करना चाहते है जिससे प्रार्थी को भूमि का उपयोग करने में भारी दुविधा पैदा होगी, ऐसी एलानिया धमकियां प्रार्थी को अप्रार्थीगण दे चुके है। ऐसा कृत्य अप्रार्थीगण का अवैध व मनमाना है ऐसा करने का अप्रार्थीगण को कानूनी अधिकार नही। तीनों मूलभूत बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। इस आश्य की मूल वाद ताफैसला तक अस्थाई निशेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पांबद फरमावे।

हमनें वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी होना प्रकट होता है। प्रकरण में प्रथम दृश्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतिम रूप से पुख्ता किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद ताफैसला जारी की जाती है कि मौजा बिजरोल गोलिया पटवार हल्का बिजरोल तहसील सांचौर के खातेदारी कब्जा काश्त खेत खसरा नम्बर 77 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 78 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 79 रकबा 8.67 हैक्टयर, कुल रकबा 8.74 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:11:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner